

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 23/3/2015

क्रमांक एफ 19-68/2014/1/4 :: राज्य शासन एतद् द्वारा विभिन्न विभागों में नवीन/वर्तमान में प्रचलित परियोजनाओं-की प्रभावी मॉनीटरिंग, नीति निर्धारण (Policy Formulation) तथा परियोजना प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने हेतु आवश्यक नीति व प्रक्रिया निर्धारण के लिए विचार विमर्श हेतु निम्नानुसार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट एक्सपर्ट ग्रुप (PMEG) का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|----|---|------------|
| 1 | श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय | अध्यक्ष |
| 2 | श्री हरि रंजन राव, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | सदस्य |
| 3 | श्री मनीष रस्तोगी, सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 4 | श्री अखिलेश अग्रवाल, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 5 | श्री अखिलेश अर्गल, संचालक, एबीवी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान | सदस्य |
| 6 | श्री कुमार पुरुषोत्तम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| 7 | श्री जी. लक्ष्मी नारायण पूर्व उपाध्यक्ष प्रमुख पीएम सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स-आईटीसी लिमिटेड | सदस्य |
| 8 | श्री सौरभ पारिख, प्रमुख कार्यक्रम प्रबंधन, कार्यालय सीमेन्टेक | सदस्य |
| 9 | श्री सुनीत प्रकाश, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आदित्य बिडला ग्रुप | सदस्य |
| 10 | मो. कृष्णा मोरथे Ex-Dean of L&T Institute of Project Management | सदस्य |
| 11 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैप-आईटी | सदस्य सचिव |

2/ इस प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट एक्सपर्ट ग्रुप की संदर्भ शर्तें (Terms of References) संलग्न परिशिष्ट अनुसार रहेगी। सदस्य सचिव द्वारा इस एक्सपर्ट ग्रुप के बैठक के आयोजन एवं एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों के क्रियान्वयन संबंधी समस्त आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(श्याम बाई धुर्वे)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

निरन्तर 2

//2//

पृ० क्रमांक एफ 19-68 /2014/1/4

भोपाल, दिनांक ०२/०३/२०१५

प्रतिलिपि:-


1. अध्यक्ष / सदस्य गण / सदस्य सचिव
 2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
 3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
 4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित।
 5. उपसंचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


२.३.१५

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग


२/३/२०१५

Sub: Terms of Reference for Project Management Expert Group (PMEG)

1. Establish Blue Print of Project Management best practices implementation in the state
2. Advise the Project Management Group PMG on adoption and development of
 - a. Project Management Tools
 - b. Project Management Process
 - c. Project Management Implementation manuals for the state
3. Advise PMG on good practices of inter department cross functions and coordination
4. To help in establish a selection criteria of projects to be taken up in PMG's agenda.
5. To help in establishing the policy framework that may be required for PMG to intervene/advice for better project management, where ever required.
6. Establish criteria for manpower including
 - a. Job Detailing and Key Result Area (KRA)
 - b. Capacity Building initiatives and on-going trainings
7. Establish standards for the training curriculum including
 - c. Case Study development
 - d. Method for assessment / evaluations for successful completion of training
8. Establish recognition and rewards program
9. Establish vendor selection criteria for the rendering of training courses as well as for the development or procurement of PM Tools.